आगरा नगर निगम
AGRA NAGAR NIGAM

Shri Naveen Jain (Mayor)

Shri Arun Prakash
(Municipal Commissioner)

Shri Kunwar Bahadur Singh
(Additional Municipal
Commissioner)

Agra Nagar Nigam Near Sur Sadan, M.G.Road, Agra
E-Mail-amcagra1@gmail.com

माह जुलाई 2019 में आगरा नगर निगम की आई.ई.सी. टीम ने इण्डिया राइजिंग के साथ मिलकर वॉल पेटिंग कर लोगों को स्वच्छता हेतु जागरूक किया गया।

माह जुलाई 2019 में आगरा नगर निगम की टीम व डोर-टू-डोर कलेक्शन का कार्य कर रही संस्थाओं के साथ मिलकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत सोर्स सेग्रीगेशन (गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग) करने हेतु लोगों को जागरूक किया गया।

16A/155, AVC, Agra, Uttar Pradesh 282007, India
Agra
Uttar Pradesh
India
2019-07-30(Tue) 10:22(am)
30°C
86°F

18/4A, City Station Rd, Maithan, Civil Lines, Agra, Uttar Pradesh 282003, India
Clouds
33 °C
91.4 °F
20-Jul-2019, 10:22 am

B-52-A, Anand Puram, Bhogipura, Shahganj, Agra, Uttar Pradesh 282010, India
Agra
Uttar Pradesh
India
2019-07-20(Sat) 09:04(am)
31°C
88°F

Agra
Uttar Pradesh
India
2019-07-21(Sun) 07:29(AM)
33°C
91°F

माह जुलाई 2019 में जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत जल संरक्षण एवं जल बचाव के आगरा नगर की टीम एवं क्योर द्वारा प्रयास किये गये।

आगरा नगर निगम की टीम द्वारा मई माह में अतिक्रमण के लिये की गयी कार्यवाही

हटाये गये अवैध अतिक्रमण का स्थल/स्थान

दिनांक 01.07.2019:- मानस नगर शाहगंज रोड पर स्थायी/अस्थायी, अतिक्रमण को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रभारी प्रर्वतन दल कर्नल ए0के0सिंह (से0नि) के नेतृत्व मे अभियान संचालित किया। संचालित अभियान मे एस.एफ.आई श्री उमेश चन्द्र निरजंन, अभियन्त्रण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री अशोक कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता श्री आर . वी. प्रसाद का सहयोग रहा। अभियान के दौरान स्थानीय निवासीयों को चेतावनी दी कि सडक पर रखे जेनरेटर को स्वंय हटा लें अन्यथा नगर निगम द्वारा उनका सामान जब्त कर लिया जायेगा एंव जुर्माना भी वसूला जायेगा।

दिनांक 02.07.2019:- यमुना ब्रिज स्टेशन रोड पर नगर निगम आगरा के प्रभारी प्रवर्तन दल, कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में सी.एस0एफ0आई श्री डी.के.अग्रवाल के सहयोग से पॉलिथिन विरोधी अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में दुकानदारों से प्रतिबन्धित पॉलिथीन/प्लास्टिक के गिलास/थर्माकॉल उक्त साम्रगी लगभग 1 किलो 900 ग्राम जब्त करते हुये रू0 15,000/- की धनराशि का शमन शुल्क/यूजर चार्जेज वसूल कर कर नगर निगम कोश में जमा कराया गया।

दिनांक 04.07.2019:- के.के.नगर (फाउन्ड्री नगर) आगरा में प्रभारी प्रवर्तन दल, कर्नल ए.के सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में सडक के दोनों तरफ 10 से भी ज्यादा अस्थायी खोकें और और झोपडीयों को हटवाया गया और पत्र संख्या 160/डी/ए.एन.ए/19 मे दर्शायी गयी अतिक्रमणयुक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। साथ ही लोगो को सख्त चेतावनी भी दी कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविश्य में दोबारा नही की जायें नही तो कानूनी कार्यवाही अमल मे लायी जायेगीं।

दिनांक 05.07.2019:- सूरसदन चौराहे पर श्री राम हॉस्पीटल के सामने लगे हुये अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में फुटपॉथ/सडक पर रखे हुये 03 खोखे हटाये गये।

दिनांक 06.07.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार हाथरस रोड तिराहे से ओमवाटिका तक सडक के एक तरफ अवैध अस्थायी/स्थायी अतिक्रमण को हटाने हेतु सहायक नगर आयुक्त महोदय और कर्नल ए0के0सिंह(से0नि0) के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। राजस्व निरीक्षक, श्री वैभव यादव, अभियन्त्रण विभाग के अधि-ाासी अभियन्ता श्री अजीत कुमार, सहायक अभियन्ता श्री महेन्द्र कुमार जैन, एस.एफ.आई श्री डी0के0अग्रवाल एंव पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा। चलाये गये अभियान में नाले के ऊपर बने अवैध रैम्पो, सीडीयों आदि अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने में कुल रू0-35,000/-का यूजर चार्जेज नगर निगम आगरा कोष में जमा कराया गया। साथ ही चलाये गये अभियान में नराइच (1292) मे नगर निगम की जमीन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभियन्त्रण विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री ए0के0सिंह सहायक अभियन्ता श्री किशोरी सिंह मौजूद रहें।

दिनांक 08.07.2019– सहायक नगर आयुक्त के आदेशानुसार नराइच (1292) में कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में नगर निगम की जमीन की नापतौल की कार्यवाही की गयी। यह कार्यवाही तकनीकी अमीन श्री भीकमपाल सिंह, और श्री विजय कुमार :ार्मा के द्वारा सम्पूर्ण की गयी।

दिनांक 09.07.2019 – लताकुंज कॉलोनी मे, पुराने मथुरा रोड पर स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये जा रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम, एस.एफ.आई श्री राघवेन्द्र सिंह यादव तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक नगर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में स्थायी 12 पक्की बनी हुयी रैम्पों को ध्वस्त करते हुयें सडक पर रखें हुये 01 अवैध खोखे को तोडा गया तथा अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में कैपसन्स वर्ल्ड वाइड नामक फैक्ट्री में जूतों की कटिंग/चमडे की कतरन को पैक करने की लगभग 30 किलो प्रतिबन्धित पॉलीथीन पायीं गयी, जिनको तत्काल जब्त कराते हुये शमन शुल्क रू0 25000/- एंव अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही के दौरान रोड पर अवैध रूप से रखे हुये 02 जनरेटरों पर वसूल किया गया शमन शुल्क रू0 25,000/- सडक पर अवैध रूप से लगी हुयी सबमर्सिबलों के विरूद्ध शमन शुल्क रू0 25000 तथा सडक पर अवैध रूप से रखे हुये 01 खोखें पर :ामन :ुल्क रू0 5000/- कुल शमन शुल्क धनराशि रू0 80,000 वसूल कर नगर निगम आगरा कोष मे जमा करायी गयी।

दिनांक 10.07.2019– वाटर वर्क्स चौराहे पर कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। एस.एफ.आई श्री अनिल कुमार का सहयोग रहा। चलाये गये अभियान में स्थानीय दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे बने अवैध टीन शेड को हटाया तथा 05 अस्थायी खोके हटाते हुये रू0 16000/– का शमन शुल्क वसूला साथ ही 600 ग्राम पॉलिथीन को जब्त करते हुये रू0 6000/– का शमन शुल्क वसूला। इस प्रकार कुल रू0 22000/– का शमन शुल्क वसूल कर नगर निगम कोश मे जमा कराया गया। साथ ही अवगत कराना है कि यमुना किनारे थाना छत्ता के पास कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व मे जेड.एस.ओ श्री सुरेन्द्र यादव के सहयोग से अतिक्रमण अभियान चलाया। चलाये गये अभियान में नाले के ऊपर बनी 01 स्थायी अवैध दुकान को ध्वस्त किया।

दिनांक 11.07.2019– सेक्टर 3 आवास विकास कॉलोनी में कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में प्रोजेक्शन विभाग के श्री एस.सी राजपूत के सहयोग से अवैध रूप से आगे निकले हुये मकानो को चिन्हित किया। थाना सदरबाजार आगरा मे एफ.आई.आर (प्रथम सूचना रिर्पोट) दर्ज करायी गयी। साथ ही चलाये गये अभियान मे कुल प्रतिबन्धित थर्माकॉल/प्लास्टिक के गिलास/पॉलीथीन मात्रा 2308.2 किलो जब्त कराते हुये जेड.एस.ओ श्री महेन्द्र सिंह द्वारा रू0–1,36,000/– का शमन शुल्क, एस.एफ.आई श्री कुलदीपक सिंह द्वारा रू0–45,000/– शमन शुल्क, कुल शमन शुल्क/यूजर चार्ज रू0–1,81,000/– की धनराशि वसूल कर नगर निगम आगरा कोष मे जमा करायी गयीं।

दिनांक 12.07.2019– आगरा कैन्ट रेल्वे स्टे-ान के आस पास तथा बिजलीघर चौराहे पर प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पॉलीथीनों का स्थानीय दुकानदारों द्वारा किये जा रहे विक्रय को रोकने हेतु नगर निगम आगरा के प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल ए.के. सिंह (से0नि0) के नेतृत्व मे पॉलिथीन विरोधी अभियान चलाया गया। एस.एफ.आई श्री लकी :र्मा, श्री इन्द्रपाल सिंह का सहयोग रहा। चलाये गये अभियान में 40 से भी ज्यादा दुकानों पर छापेमारी की। छापे के दौरान 4.8 कि0ग्रा0 पॉलीथीन को जब्त किया तथा स्थानीय दुकानदारो से पॉलीथीन के विरूद्व वसूला गया शमन शुल्क रू0 38,000/- रोड पर भट्टी मे आग लगाये जाने के विरूद्व शमन शुल्क रू0 53,000/- तथा गन्दगी फैलाने पर वसूला गया शमन शुल्क रू0 6,000/- कुल शमन शुल्क/यूजर चार्ज रू0 97,000 की धनरा-ि का शमन शुल्क नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गया।

दिनांक 15.07.2019– राश्ट्रीय राजमार्ग नं0 2 सी0एन0जी पेट्रोल पम्प के पास नगर निगम की सरकारी जमीन पर स्थानीय नागरिक द्वारा अवैध कब्जो को हटाने हेत सहायक नगर आयुक्त महोदय और प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व मे अभियान चलाया गया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री ए0के0सिंह, तकनीकी अमीन श्री भीकमपाल सिंह और श्री विजय कुमार :र्मा का सहयोग रहा। चलाये गये अभियान में सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जे को हटाते हुये जमीन की मापतौल करायी एंव जमीन पर फैन्सिंग का कार्य भी प्रारम्भ कराया। साथ ही वहॅा के स्थानीय नागरिकों को सख्त चेतावनी दी गयी कि सरकारी काम मे हस्तक्षेप नही करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जायेंगी।

दिनांक 16.07.2019- जिला अस्पताल के सामने छीपीटोला रोड पर स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये गये अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पॉलीथीनों का स्थानीय दुकानदारों द्वारा किये जा रहे विक्रय को रोकने हेतु नगर निगम आगरा के प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल ए.के.सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, एस.एफ.आई श्री इन्द्रपाल सिंह, तथा पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान की कार्यवाही के दौरान 06 स्थायी दुकानो के आगे बने अवैध रैम्प, टीन शेड अतिक्रमणो को ध्वस्त करते हुये 500 ग्राम पॉलीथीन को जब्त किया तथा स्थानीय दुकानदारो से पॉलीथीन के विरूद्व वसूला गया शमन शुल्क रू0 5,000/- अवैध अतिक्रमण के विरूद्व शमन शुल्क रू0 9000/- कुल शमन शुल्क/यूजर चार्ज रू0 14,000 की धनरानि का शमन शुल्क नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गया।

दिनांक 17.07.2019- माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्दे-ाों के अनुपालन में प्रतापपुरा रोड पर आत्माराम आटोंमोबाईल से लेकर बालूगंज पेट्रोल पम्प तक अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। ए.डी.एम सिटी महोदय, आर आई श्री वैभव यादव एंव जेड.एस.ओ श्री सुरेन्द्र यादव, श्री महेन्द्र सिंह अभियन्त्रण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री महेन्द्र जैन अवर अभियन्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, एंव पुलिस बल का सहयोग रहा। चलाये गये अभियान में स्थायी 30 पक्की बनी हुयी रैम्पों/सीडीयों टीन शेड को ध्वस्त करते हुये रू0 10,500/- धनराशि का शमन शुल्क वसूल कर नगर निगम आगरा कोश मे जमा किया।

दिनांक 19.07.2019– नराइच (1292) मे सहायक नगर आयुक्त महोदय और प्रभारी प्रवर्तन दल, कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व मे नगर निगम की जमीन का निरीक्षण किया जिस पर कान्हा गऊशाला बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है निरीक्षण के दौरान अभियन्त्रण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री कि-ाोरी सिंह मौजूद रहें।

दिनांक 22.07.2019– प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में वार्ड 17 मोहल्ले का नाम मस्ता की बगीची, सब्जी मण्डी का निरीक्षण किया। वहॉ पर स्थानीय लोगो ने अस्थायी ठेलो/खोको द्वारा अतिक्रमण कर रखा है प्रवर्तन दल द्वारा दुकानदारों को चेतावनी दी गयी की वह स्वंय अतिक्रमण हटा लें अन्यथा सारा सामान जब्त कर लिया जायेगा और जुर्माना भी वसूला जायेगा। प्रवर्तन दल, सहायक अभियन्ता श्री किशोरी सिंह, तकनीकी अमीन श्री विजय कुमार शर्मा कि मौजूदगी मे ताजगंज में तांगा स्टैण्ड के पास सडक पर अवैध अस्थायी ठेलो एंव खोको द्वारा अतिक्रमण कर रखा था जिन्हे चेतावनी दी गयी कि वह स्वंय अतिक्रमण हटा लें अन्यथा अन्यथा सारा सामान जब्त कर लिया जायेगा और जुर्माना भी वसूला जायेगा। साथ ही सहायक अभियन्ता श्री किशोरी सिंह, द्वारा उखर्रा रोड गुरू गोविन्द नगर में मकानो की पैमाईष भी करायी। कमला नगर में ब्लॉक आई, जी, एम, आर में स्थानीय निवासीयों ने कॉलोनी में अवैध गेटो का निर्माण कर लिया था। स्थानीय निवासीयों की शिकायत पर प्रर्वतन दल ने गेटो का निरीक्षण किया गया।

दिनांक 24.07.2019- सिकन्दरा क्षेत्र में नगर निगम की जमीन एंव जगनपुर क्षेत्र में पानी की टंकी के पास प्रवर्तन दल कर्नल ए0के0सिंह के नेतृत्व मे श्री भीकमपाल के सहयोग से पूर्ण किया गया। साथ ही विजय नगर कॉलोनी में स्थानीय निवासी के द्वारा प्रोजेक्-ान विभाग के श्री एस.सी.राजपूत के साथ सर्वे करने के दौरान अभद्रता की। जिसकी उक्त सूचना प्राप्त होते ही सहायक नगर आयुक्त महोदय राजस्व निरीक्षक श्री वैभव यादव और कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) घटना स्थल पर पहुँचे तथा सर्वे का काम पूर्ण कराया गया एंव अभद्रता करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी (एफ0आई0आर) दर्ज करने के आदेश दिये।

दिनांक 25.07.2019- कमला नगर जी 180 ब्लॉक में अवैध बने हुये मकानों को आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारीयों के माध्यम से नापतौल करायी और मकानो को चिन्हांकन किया। साथ ही कमला नगर के सत्या मार्केट में सहायक नगर आयुक्त महोदय और प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम ने अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में राजस्व निरीक्षक श्री वैभव यादव एंव अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता श्री विजय गोयल, सहायक अभियन्ता श्री किशोरी सिंह का सहयोग रहा। चलाये गये अभियान में 6 से भी ज्यादा खोंके, टीनशेड और दुकानों के आगे बनी स्थायी रैम्पों को तोडा तथा दुकान के आगे सडक पर अवैध रूप से रखे हुये जेनरेटर को हटवाते हुये रू0 5750/- का शमन शुल्क वसूला। साथ ही कमला नगर के मयूर बिहार में एक स्थानीय नागरिक के द्वारा घर के आगे बने हुये स्थायी चबूतरे को ध्वस्त किया गया। साथ ही अवगत कराना है कि देवीराम फास्ट फूड सेन्टर सें कारगिल पैट्रोलपम्प चौराहे तक सडक के दोनों ओर स्थानीय नागरिको/दुकानदारों द्वारा विक्रय की जा रही प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पॉलिथीन/थर्माकॉल के विरूद्व नगर निगम आगरा के प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में पालिथीन विरोधी अभियान चलाया गया। साथ ही एस.एफ.आई श्री राघवेन्द्र यादव एंव पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा। चलाये गये अभियान में 4.5 कि.ग्रा. पालिथीन को जब्त किया तथा स्थानीय दुकानदारों

से पॉलिथीन के विरूद्ध वसूला गया शमन शुल्क रू0 46,000/- रोड पर भट्टी में आग लगाये जाने के विरूद्ध शमन शुल्क रू0 15,000/- कुल शमन शुल्क/यूजर चार्ज रू0 66,750/- की धनराशि का शमन शुल्क नगर निगम आगरा कोश में जमा कराया गया।

दिनांक 30.07.2019- मधुनगर चौराहा देवरी रोड पर स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये गये अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पॉलीथीनों का स्थानीय दुकानदारों द्वारा किये जा रहे विक्रय को रोकने हेतु नगर निगम आगरा के प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल ए.के.सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता श्री पवन कुमार, एस.एफ.आई श्री कुलदीपक सिंह, तथा पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान की कार्यवाही के दौरान 04 स्थायी दुकानो के आगे बने अवैध काउन्टर, रैम्प, टीन शेड एंव 7 अस्थायी खोको को ध्वस्त करते हुये, 100 ग्राम पॉलीथीन को जब्त किया तथा स्थानीय दुकानदारो से पॉलीथीन के विरूद्ध वसूला गया शमन शुल्क रू0 1,000/- अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध शमन शुल्क रू0 15,000/- कुल शमन शुल्क/यूजर चार्ज रू0 16,000 की धनराशि का शमन शुल्क नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गया।

उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 एवं अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2018 के तहत निर्गत माह जुलाई 2019 में की गयी कार्यवाही-

जप्त की गयी कुल सामग्री	कुल जुर्माना (रू0)
56 किलो 85 ग्राम	1,48,500.00

कर्मचारी सेवानिवृत्ति : नगर निगम, आगरा में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्ति उपरान्त देय भुगतानों के लिए एवं पेंशन स्वीकृति के लिये कार्यालय के चक्कर लगाना न पडे। इस हेतु नगर निगम, आगरा द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समस्त देयों के भुगतान के चैक एवं पी0पी0ओ0 ससम्मान विदाई समारोह आयोजित करके हस्तगत किये जाते हैं।

माह जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत्त देय भुगतान के चैक एवं पी0पी0ओ0 वितरित किये गये। कुल 3 सेवानिवृत्त कर्मचारी को विदाई समारोह में फूलमाला एवं शॉल पहना कर सम्मानित किया गया और कुल धनराशि रू. 29,99,655.00 का चैक वितरण किया गया।